भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4087
(25 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

स्वयं-सहायता समूहों के उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना

4087. श्री बंटी विवेक साहू:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वयं-सहायता समूहों (एसएचजी) द्वारा निर्मित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन सी विभिन्न विशिष्ट पहलें की गई हैं;
(ख) क्या सरकार ने वैश्विक बाजारों में भारतीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों अथवा व्यापार संगठनों के साथ किसी समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने उक्त उत्पादों की बिक्री के लिए विपणन के अवसर केवल मेलों तक सीमित करने के बजाय इन्हें वर्ष भर सुनिश्चित करने हेतु निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सहयोग किया है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क) और (ख): दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत एक विपणन पहल के रूप में सरस आजीविका मेला राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर आयोजित किया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नोएडा, उत्तर प्रदेश में आयोजित सरस आजीविका मेला 2025 में निर्यात क्षमता वाले स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए एक निर्यात मंडप स्थापित किया गया था, जिसका

प्राथमिक लक्ष्य एसएचजी को उनके उत्पादों के निर्यात के लिए प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना था। इस मेले में एसएचजी में क्षमता निर्माण और निर्यात संभावनाओं के सृजन तथा जागरूकता पैदा करने के लिए प्रशिक्षण-सत्र-एवं-कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडी एंड पीआर) ने 'एसएचजी के हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों के निर्यात विपणन' के दायरे पर विचार-विमर्श करने के लिए दिनांक 14 और 15 मई 2024 को दिल्ली में एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला आयोजित की है।

राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के विपणन घटक के अंतर्गत वस्त्र मंत्रालय ने कारीगरों को विपणन मंच प्रदान करने और हस्तशिल्प के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन किया था:

(I) अन्य संगठनों/सी-डेप द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में गांधी शिल्प बाजार/फैशन-शो/स्टालों को किराए पर लेने सहित घरेलू विपणन कार्यक्रम।

(II) भारत और विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय विपणन कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. अंतर्राष्ट्रीय विपणन कार्यक्रम।
ii. अंतर्राष्ट्रीय शिल्प प्रदर्शन कार्यक्रम।
iii. क्रेता-विक्रेता मिलन और रिवर्स क्रेता-विक्रेता मिलन।
iv. वर्चुअल प्लेटफार्मों पर मेले/प्रदर्शनियां/कार्यक्रम।

(ग) और (घ): जी, हां। इस मंत्रालय ने एसएचजी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ गठजोड़ किया है। सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेईएम) के सहयोग से एसएचजी उत्पादों के विपणन के लिए जेईएम में स्टोर फ्रंट के रूप में एक "सरस संग्रह" बनाया गया है। इसके अलावा, मंत्रालय और फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड, अमेज़न, फैशनियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (मीशो) और जियोमार्ट के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ताकि कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों सहित स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के उत्पादकों को एसएचजी उत्पादों के विपणन के लिए क्रमश: फ्लिपकार्ट समर्थ कार्यक्रम, अमेज़ॅन सहेली इनिशिएटिव, मीशो और जियोमार्ट के माध्यम से राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच मिल सके। एसएचजी उत्पादों के ऑनलाइन विपणन के लिए इस मंत्रालय द्वारा एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म (www.esaras.in) भी शुरू किया गया है। ई-सरस, ओएनडीसी पर भी विक्रेता

नेटवर्क भागीदार (सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट) के रूप में उपलब्ध है। महिला एसएचजी के क्यूरेटेड उत्पाद ओएनडीसी नेटवर्क के 11 ऐप अर्थात पे-टीएम, माय-स्टोर, क्राफ्ट्सविला, जागरण, स्नैपडील, नोवो-पे, ईज़ी-पे, गोनुक्ली, रूबरू, मैपल्स, हिमिरा पर उपलब्ध है।

*****